21/11/15

पत्रा. पेश हुई। वकील वादी एवं [illegible] अनुपस्थित। चूंकि दावा वादी अदम पैरवी अदम [illegible] में खारिज किया जा चुका है अतः अब प्रा.पत्र 212 आरटी0 का कोई औचित्य शेष नहीं रहता है अतः प्रा.पत्र 212 वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रा. फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 16:11:40 IST
Reason: SelfAttested